

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-417/13

संस्थित दिनांक- 28.11.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

नीरज सोनी पुत्र मगनलाल सोनी उम्र 34 साल
निवासी हाटका पुरा रोड़ बाबा बाबड़ी चन्देरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप है कि वह दिनांक 21.10.13 को 16:30 बजे सती चौराहा अंतर्गत धारा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर आमजनता को 1/- रुपये के बदले 80/- रुपये का प्रलोभन देकर सट्टे का प्रचार प्रसार किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.10.2013 को समय 16:40 बजे सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-3) को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त नीरज सोनी सती चौराहे पर एक रुपये बदले अस्सी रुपये का लालच देकर सट्टा खिला रहा है। तदपश्चात राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने मुखबिर की सूचना से साक्षी रामदास (अ0सा0-1) व सुरेंद्र (अ0सा0-2) का अवगत कराया और मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो देखा की अभियुक्त एक रुपये के बदले अस्सी रुपये का लालच देकर सट्टा खिला रहा था पुलिस को देखकर सट्टा खेलने वाले लोग भाग गये। राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने हमराह फोर्स की मदद से अभियुक्त को मौके से पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर अभियुक्त के अधिपत्य से तीन सट्टे की अंक लिखी पर्ची एक लीड पेन व नकद 890/- रुपये पाये गये जिसे मौके पर साक्षी रामदास (अ0सा0-1) व सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) के समक्ष जप्त कर राकेश सिंह (अ0सा0-1) ने जप्ती पत्रक तैयार किया उपरोक्त साक्षियों के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया। थाना वापसी पर राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 358/13 अंतर्गत धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज प्रकरण में विवेचना की गई तथा बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या दिनांक 21.10.13 को 16:30 बजे सती चौराहा अंतर्गत धारा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर आमजनता को 1/- रुपये के बदले 80/- रुपये का प्रलोभन देकर सट्टे का प्रचार प्रसार किया।
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष—

- 06— सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 12.10.13 को उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त नीरज सोनी सती चौराहे पर एक रुपये के बदले में अस्सी रुपये का प्रलोभन देकर सट्टा खिला रहा है। इस साक्षी का कहना है कि उसने उक्त सूचना से ए0एस0आई0 लकडा (अ0सा0-4 व प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) को अवगत कराया था तथा उन्हें लेकर वह पुराने बस स्टैण्ड से मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर वह पहुंचा था। राकेश सिंह (अ0सा0-3) का कहना है कि मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर अभियुक्त एक रुपये के बदले में अस्सी रुपये का प्रलोभन देकर उन्हें सट्टा खिलाता हुआ मिला था, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा तो उसके पास से सट्टे की अंक की लिखी पर्ची एक लीड पेन व नकद 890/- रुपये मिले थे, जिसे उसने साक्षी रामदास (अ0सा0-1) व प्रधान आरक्षक सुरेश (अ0सा0-2) के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था तथा मौके पर ही अभियुक्त को उपरोक्त साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 6 बनाया था, जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 07— साक्षी राकेश सिंह (अ0सा0-3) का कहना है कि उसने जप्तशुदा संपत्ति सहित अभियुक्त को थाने पर लाकर प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर भी इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बतायी गई घटना की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 से होती है। राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि वह प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) एवं सहायक उपनिरीक्षक जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना से अवगत कराकर उन्हें लेकर मौके पर पहुंचे थे तथा मौके पर की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही उसने सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) एवं रामदास (अ0सा0-1) के समक्ष की थी। अतः राकेश सिंह (अ0सा0-3) के अनुसार मौके पर की गई कार्यवाही के साक्षी उसके अलावा रामदास (अ0सा0-1) प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) व सहायक उपनिरीक्षक जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) हैं।
- 08— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में रामदास (अ0सा0-1) प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) व सहायक उपनिरीक्षक जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) के कथन भी

न्यायालय में कराये हैं। जिनमें से साक्षी रामदास (अ0सा0-1) व सहायक उपनिरीक्षक जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) ने अपने न्यायालीन कथनों में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा की गई कार्यवाही के समर्थन में न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये हैं। जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में, घटना का प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी होने के बाद भी कोई कथन नहीं दिये है। जी0बी0एल0 लकडा (अ0सा0-4) ने अपने न्यायालीन कथनों घटना के संबंध में कोई कथन न देते हुये उसके द्वारा मात्र प्रकरण में की गई विवेचना की पुष्टि की गई। वहीं रामदास (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में घटना के संबंध में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा की गई कार्यवाही का ध्यान न होना बताया है तथा घटना के संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में बतायी गई कार्यवाही के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं।

- 09— राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह स्पष्ट किया है कि उसे ए0एस0आई0 लकडा (अ0सा0-4) प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) व रामदास (अ0सा0-1) पुराने बस स्टेण्ड पर मिले थे जिन्हें वह पुराने बस स्टेण्ड से लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा था। सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के की गई कार्यवाही की पुष्टि की। इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को ए0एस0आई0 लकडा (अ0सा0-4) के साथ भ्रमण था तथा उसे बस स्टेण्ड पर प्रधान आरक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-3) मिले थे और उन्होंने यह बताया था कि नीरज सोनी सती चौराहे पर सट्टा खिला रहा है। अतः राकेश सिंह (अ0सा0-3) सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) सहित अन्य साक्षियों को पुराने बस स्टेण्ड से लेकर सती चौराहे पहुंचा था। इस बात की पुष्टि स्वयं राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है।
- 10— प्रधान आरक्षक सुरेंद्र (अ0सा0-2) अपने मुख्यपरीक्षण में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा की गई कार्यवाही एवं उसके द्वारा न्यायालय में बतायी गई घटना की पुष्टि की है तथा इस साक्षी ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि जब वह बस स्टेण्ड से राकेश सिंह (अ0सा0-3) के साथ सती चौराहे पर पहुंचे थे तो वहां पर अभियुक्त नीरज सोनी एक रूपये के बदले अस्सी रूपये का प्रलोभन देकर सट्टा खिला रहा है। इस साक्षी का कहना है कि पुलिस को देखकर बाकी लोग भाग गये थे तथा उन्होंने नीरज सोनी को पकड़ लिया था। सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि नीरज सोनी से सट्टे की तीन पर्चिया एवं लीड तथा 890/- रूपये उसके व रामदास के समक्ष सहायक उपनिरीक्षक राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा जप्त किये गये थे। इस साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होने की भी पुष्टि की है।
- 11— राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में बतायी गई घटना विरोधाभास रहित है तथा उक्त घटना की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के साथ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) के कथनों से भी होती है। राकेश सिंह (अ0सा0-3) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं

जिनमें बचाव पक्ष कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, जिसके आधार पर इस साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही पर संदेह किया जा सके। राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के संबंध में यह भी स्पष्ट किया है कि उसी 04:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी तथा अभियुक्त उसे ढोलिया गेट के सामने सती चौराहे पर मिला था और वही पर उसने जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। अभियुक्त से की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही ढोलिया गेट के सामने सती चौराहे पर हुई थी, इसका उल्लेख जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 2 में भी है तथा सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है अभियुक्त से जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही सती चौराहे पर राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने की थी।

- 12— राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा की गई कार्यवाही संदेह रहित है तथा इस साक्षी के न्यायालय में दिये गये कथन भी विरोधाभास रहित होकर पूरी तरह से अभियोजन घटना को प्रमाणित करते हैं प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा की गई कार्यवाही के समर्थन में कथन देते हुये अखण्डित साक्ष्य दी है जिससे राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा मौके पर की गई जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 2 की कार्यवाही प्रमाणित होती है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौके पर अभियुक्त से जप्ती की गई जप्ती किट प्रदर्श पी 3, 4 व 5 प्रकरण में प्रस्तुत की है, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी हैं।
- 13— बचाव पक्ष की ओर से राकेश सिंह (अ0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि प्रदर्श पी 3, 4 व 5 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त पंक्तियां राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा स्वयं भी लिखी जा सकती है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि लीड पेन और सादा कागज किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। निश्चित रूप से प्रदर्श पी 3, 4 व 5 के कागज एवं लीड पेन आसानी से कहीं से भी उपलब्ध हो सकते हैं तथा 890/- रुपये की राशि आसानी से किसी भी प्रकार से जप्त दिखाई जा सकती है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जप्त की गई जप्ती चिट प्रदर्श पी 3, 4 व 5 का कागज महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस पर लिखी इभारत एवं उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर महत्वपूर्ण हैं।
- 14— प्रकरण में राकेश सिंह (अ0सा0-3) व सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) के कथनों से मौके से अभियुक्त से प्रदर्श पी 3, 4 व 5 की जप्ती चिट जप्त किया जाना प्रमाणित है उक्त चिट अभियुक्त के पास क्यों थी तथा किस प्रयोजन से रखी हुई थी तथा उस पर अभियुक्त की हस्तलिपि व हस्ताक्षर नहीं है, यह साबित करने का भार जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित होने के बाद अभियुक्त पर है। बचाव पक्ष की ओर से राकेश सिंह (अ0सा0-3) के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से जप्ती चिट पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने से इनकार किया गया है। परन्तु मात्र सुझाव का दिया जाना यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि प्रदर्श पी 3, 4 व 5 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 3, 4 व 5 पर लिखे गये अंक अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं हैं, ऐसी कोई प्रतिरक्षा न तो बचाव पक्ष की है और न ही बचाव के द्वारा यह साबित किया गया है कि प्रदर्श पी 3, 4 व 5 की लिपि अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं है। अतः प्रदर्श पी 3, 4 व 5 की लिखापट्टी

अभियुक्त के द्वारा नहीं की गई इस पर विश्वास करने के लिये बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। ।

- 15— बचाव पक्ष की ओर से साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में यह प्रतिरक्षा भी ली गई है कि रामदास (अ0सा0-1) थाना प्रभारी चंदेरी के यहा खाना बनाता है तथा मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर न कराके राकेश सिंह (अ0सा0-3) ने हितबद्ध व्यक्तियों के जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी बनाया। निश्चित रूप से रामदास (अ0सा0-1) ने यह स्वीकार किया है कि वह थाना प्रभारी के यहां खाना बनाता है तथा उसका थाने पर अक्सर आना जाना होता है परन्तु मात्र उक्त आधार पर राकेश सिंह (अ0सा0-3) व सुरेंद्र सिंह (अ0सा0-2) की साक्ष्य जो कि अखण्डित है मात्र इस आधार पर नहीं नकारी जा सकती है, क्योंकि वह पुलिसकर्मी है। पुलिस कर्मियों की साक्ष्य भी स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य के सामान हैं, विश्वसनीय हो सकती है। यदि उनकी साक्ष्य तथा मौके पर की गई कार्यवाही संदेह रहित है जो कि वर्तमान प्रकरण में है।
- 16— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि राकेश सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा दिनांक 12.10.13 को सुरेंद्र सिंह चौहान (अ0सा0-2) व रामदास (अ0सा0-1) के समक्ष सती चौराहे पर अभियुक्त से प्रदर्श पी 2 के जप्ती पत्रक अनुसार प्रदर्शपी 3, 4 व 5 की पर्ची जप्ती की गई थी उक्त पर्चियां अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं हैं तथा उक्त पर्चियों के माध्यम से अभियुक्त मौके पर सट्टा नहीं खिला रहा था। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर था जो कि अभियुक्त साबित करने में सफल नहीं हुआ।
- 17— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त नीरज सोनी ने दिनांक 21.10.13 को 16:30 बजे सती चौराहा अंतर्गत धारा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर आमजनता को 1/- रुपये के बदले 80/- रुपये का प्रलोभन देकर सट्टे का प्रचार प्रसार किया।
- 18— अतः अभियुक्त नीरज सोनी पुत्र मगनलाल सोनी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4 (क) के आरोप में दोषसिद्ध कर दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति, परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।
- 19— अभियुक्त नीरज सोनी पुत्र मगनलाल सोनी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 20— अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र तैयार

कर संलग्न किया जावे।

- 21- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लीड पेन और तीन सट्टे की पर्ची मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा नकद राशि 890/- रुपये अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में विधिवत् राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत्
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)